कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक285/दो—11—18/17 नर्मदापुरम, दिनांक 11.03.2026

श्री कन्हैयालाल सोनी, आदेशिका वाहक नजारत अनुभाग, इटारसी का दिनांक 28.02.2026 से 14.03.2026 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् वर्तमान में आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 285 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

11.3.26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0 1179/दो—11—18/17 नर्मदापुरम, दिनांक 11.03.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं श्री कन्हैयालाल सोनी, आदेशिका वाहक को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
02. देयक लिपिक, कार्यालय अनुभाग, नर्मदापुरम की ओर उक्त अवकाश अवधि का पी.टी.ए. काटे जाने हेतु प्रेषित।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

11.3.26

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)